

परिशिष्ट का उपग्र - 1

विधायक सभा नारायण उरु कुशुभ 2143 के अर्थात् 5 एवं 6 की प्राप्ति
 विधायक सभा नारायण उरु कुशुभ 2143 के अर्थात् 5 एवं 6 की प्राप्ति
 दिनांक 16.7.2019

परिशिष्ट(क)

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-2143 की जानकारी

क्र.	प्रकरण क्रमांक एवं धारा	पंजीयन दिनांक	आरोपी का नाम, पदनाम, विभाग	प्रकरण का प्रकार	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	95/11 13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	25.8.2011	श्री अमरसिंह यादव, महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक भोपाल	अनुपातहीन संपत्ति	माननीय विशेष न्यायालय, भोपाल में खात्मा प्रतिवेदन दिनांक 10.11.2014 को प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
2	213/12 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं 109, 120बी, 201, 420, 467, 468, 471, मा.दं.वि.	8.10.2012	1. श्री मंवर सिंह शेखावत, अध्यक्ष, अपेक्स बैंक 2. श्री केशव देशपाण्डे, उप महाप्रबंधक 3. श्री आर.बी.बट्टी, प्रबंध संचालक 4. श्री सुरील मिश्र, तत्का. प्रबंध संचालक (से.नि.) 5. श्री अरविंद सेंगर, तत्का. ओ.एस.डी. अपेक्स बैंक 6. श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी, अपेक्स बैंक 7. श्री ओम पाटीदार, विधि सलाहकार, अपेक्स बैंक 8. श्री शांतिलाल लोढा, विधि सलाहकार, अपेक्स बैंक 9. श्रीमती मंदा थेटे, अपेक्स बैंक 10. श्री रमेश थेटे, तत्का. अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन	पद का दुरुपयोग	माननीय विशेष न्यायालय भोपाल में दिनांक 28.6.2013 को चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। नोट -आरोपी श्री शांतिलाल लोढा एवं श्री ओम प्रकाश पाटीदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गयी याचिका क्र. 13213/15 एवं 2092/15 के अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध रचित आरोप खारिज किये गये।

अनुपमा कुशुभ
 लोक आरु. उ. कार्यालय
 71

अपर आयुक्त
 सहकारिता, म.प्र. भोपाल

अनुपम अधिकारी
 50 प्र० शासन,
 उज्जैन

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2143 के प्रश्नांश 'ख' की जानकारी
बैठक दिनांक 16.07.2019 सदस्य श्री राज्यवर्धनसिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव

क्र	प्रकरण क्रमांक एवं धारा	आरोपी का नाम, पदनाम एवं विभाग	सहकारिता विभाग स्तर से की गई कार्यवाही	अपेक्स बैंक स्तर से की गई कार्यवाही
1	95/11 13(1)ई,13 (2)पी.सी. एक्ट 1988	श्री अमरसिंह यादव, महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक, भोपाल	-	दिनांक 16.07.2012 को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई। न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश दिनांक 27.01.2015 से निलंबन समाप्त किया गया। विभागीय जांच उपरांत दिनांक 28.04.2016 को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
2	213/12 13(1)डी, एवं 13(2) एवं 109, 120बी, 201, 420, 467, 468,471 भा. द.वि.	श्री भंवरसिंह शेखावत, अध्यक्ष अपेक्स बैंक श्री केशव देशपाण्डे, उप महाप्रबंधक श्री आर.बी.बट्टी, प्रबंध संचालक श्री सुशील मिश्र, तत्कालीन प्रबंध संचालक (से.नि.) श्री अरविंद सेगर, तत्का. ओ.एस.डी. अपेक्स बैंक श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी, अपेक्स बैंक श्री ओम पाटीदार, विधि सलाहकार, अपेक्स बैंक श्री शांतिलाल लोढ़ा, विधि सलाहकार, अपेक्स बैंक श्रीमती मंदा थेटे, अपेक्स बैंक श्री रमेश थेटे, तत्का. अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन	सहकारी अधिनियम की धारा 53-बी(2) के अंतर्गत दिनांक 04.08.2015 को अपेक्स बैंक भोपाल के अधीन कोई पद धारण करने के लिये आगामी 6 वर्ष की अवधि के लिये निर्हरित किया गया है। आदेश दिनांक 05.07.2013 से निलंबित किया गया था। दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त। दिनांक 30.06.2012 को सेवानिवृत्त। आदेश दिनांक 19.11.2013 से निलंबित किया गया था तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-6-2-2019-3-एक दिनांक 09.04.2019 के आधार पर सक्षम कमेटी की अनुशंसा पर आदेश दिनांक 19.06.2018 को निलंबन से न्यायालयीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन बहाल किया गया।	- पूर्व से सेवा पृथक। - - - आदेश दिनांक 17.09.2013 से निलंबित किया गया था। दिनांक 30.09.2015 को सेवा निवृत्त। - - - -

अध्यक्ष, अपेक्स बैंक, भोपाल
सहकारिता, भोपाल
मनुष्य अधिकार:
डॉ. प्र. शासन,
भोपाल